

आधारभूत संरचना के लिए वित्तपोषण में आने वाली चुनौतियों का प्रबंधन: एनएबीएफआईडी के लिए आगे की राह*

श्री एम. राजेश्वर राव

विशिष्ट अतिथिगण, देवियो एवं सज्जनो,

आज यहां 'एनएबीएफआईडी' के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव' में आना खुशी की बात है, जो भारत की आधारभूत संरचनागत यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

आधारभूत संरचना को सुविधाओं और प्रणालियों के तंत्र के रूप में सोचा जा सकता है जो एक अर्थव्यवस्था को कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाता है, जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए इष्टतम परिणाम संभव कर सकता है। इसलिए, यह देश के आर्थिक विस्तार और समग्र विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मुख्य स्रोत है। यह उत्पादकता बढ़ाकर, निवेश आकर्षित करके, बाजारों का विस्तार करके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए, एक समृद्ध और न्यायसंगत समाज की नींव रखता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जैसे-जैसे यह वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर अग्रसर है, ठोस और विश्वसनीय आधारभूत संरचना की भूमिका सर्वोपरि होती जा रही है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत ने हाल के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना जैसे नीतिगत उपायों के माध्यम से पर्याप्त आधारभूत संरचनागत निवेश किया है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.11 लाख करोड़ का आवंटन, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है, इस प्रतिबद्धता को मजबूत करना चाहता है।

ऐतिहासिक रूप से, सार्वजनिक व्यय भारत में आधारभूत संरचना के विकास की आधारशिला रहा है। हालाँकि, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन तक हम सार्वजनिक व्यय पर निर्भर रह सकते हैं, आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए वित्तपोषण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विविध प्रतिभा आधार तक पहुंच व्यापक बनाने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह इस संदर्भ में है कि भारत में दीर्घकालिक आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) जैसी एक विशेष संस्था, निजी क्षेत्र की भागीदारी को उत्प्रेरित करने के लिए निधीयन अंतर को पाठने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। इस पृष्ठभूमि में, मैं सामान्य रूप से आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में आनेवाली चुनौतियों और इन चुनौतियों पर नियंत्रण पाने में एनएबीएफआईडी द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। मैं कुछ उभरते मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा जिन पर एनएबीएफआईडी को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ध्यान देना चाहिए।

विकास वित्त संस्थान

इस संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, मैं विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) की अवधारणा पर एक संक्षिप्त दृष्टिकोण के साझाकारण से शुरूआत करता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, जब युद्ध से तबाह राष्ट्र और नव स्वतंत्र देश तेजी से औद्योगिक विकास की राह पर चल पड़े, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उस युग की वित्तीय प्रणालियाँ लंबी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण से जुड़े मूल्य निर्धारण और प्रबंधन जोखिम के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए, विकासात्मक प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकारों द्वारा दुनिया भर में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को अपने घाटे को कम करने के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त था और उन्हें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से संस्ते फंड तक पहुंच प्राप्त थी जिसकी गारंटी सरकारों द्वारा दी जाती थी। हालाँकि, चूंकि बजटीय बाधाओं और बाजार दक्षता संबंधी मतों

* 12 सितंबर, 2024 को मुंबई में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) द्वारा आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। उषा जानकीरमन, अखिलेश गोखले और शशांक श्रीवास्तव द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

को देखते हुए सरकारों को अंततः उनका समर्थन करना मुश्किल हो गया, इसलिए इनमें से कई डीएफआई की पुनः स्थापना की गई।¹

भारतीय डीएफआई की यात्रा

भारतीय डीएफआई ने भी अपने वैधिक समकक्षों के समान रास्ता अपनाया। इसकी शुरुआत 1948 में राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) के इको-सिस्टम के साथ आईएफसीआई की स्थापना से हुई, इसके बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का समर्थन करने के लिए आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसे अन्य क्रियान्वयन और पुनर्वित्त संस्थानों की स्थापना की गई। दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त प्रदान करके, इन संगठनों ने चार दशकों से अधिक समय तक देश के भीतर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने और निवेश गतिविधियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, वाणिज्यिक बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ बढ़े हुए एनपीए ने डीएफआई को अपनी रणनीतियों को फिर से संरेखित करने के लिए मजबूर किया। चूंकि उन्हें अपना व्यवसाय मॉडल अव्यवहार्य लगा, इसलिए कुछ डीएफआई वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित हो गए।

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में चुनौतियाँ

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक विशिष्ट विशेषज्ञता वाली चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले आधारभूत संरचना की परिभाषा पर ही आम सहमति बनाने की जरूरत है। रंगराजन आयोग (2001)² ने आधारभूत संरचना क्षेत्रों की प्राकृतिक एकाधिकार, उच्च डूब लागत, उत्पादन की गैर-व्यापारिकता, आबादी की सीमा तक खपत में गैर-प्रतिद्वंद्विता, मूल्य बहिष्कार की संभावना, और समाज पर बाहरी प्रभाव डालना जैसे छह विशेषताओं की पहचान की। इनमें से कुछ विशेषताएँ आधारभूत संरचना की प्रकृति के बजाय उसके वित्तपोषण की अंतर्निहित चुनौतियों से

¹ उदाहरणों में चायना डेवलेपमेंट बैंक (सीडीबी), आफिकन डेवलेपमेंट बैंक (एफडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), कोरिया डेवलेपमेंट बैंक (केडीबी), ब्राजिलीयन राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक डेवलेपमेंट बैंक (बीएनडीईएस), सिंगापुर डेवलेपमेंट बैंक (डीबीएस) शामिल हैं जिन्होंने अपने अधिदेश में औद्योगिक विकास से ध्यान हटाकर निजी क्षेत्र के विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, वाणिज्यिक बैंकिंग को शामिल कर लिया है।

² जनवरी 2000 में सरकार द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने देश में सांख्यिकीय प्रणाली और आधिकारिक सांख्यिकी के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की। रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, इसने अन्य क्षेत्रों से अलग आधारभूत संरचना की अपनी धारणा प्रस्तुत की। (<https://www.mospi.gov.in/82-notion-infrastructure>)

उत्पन्न होती हैं। लंबी निर्माण अवधि के साथ उच्च डूब लागत आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को और अधिक जटिल बनाती है और आस्ति-देयता बेमेलता का कारण बनती है। अनुमोदन, मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ और समझौतों का उल्लंघन भी परियोजना वित्तपोषण के जोखिमों को बढ़ाता है और लागत में वृद्धि जैसे अन्य मुद्दों का कारण बनता है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं की परस्पर निर्भरता वित्तपोषण को और अधिक जटिल बना देती है, क्योंकि किसी आधारभूत संरचना परियोजना की वास्तविक क्षमता को उजागर करना अक्सर पूरक आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर निर्भर होता है। यह अंतर्संबंध या अन्योन्याश्रय वित्तपोषण प्रक्रिया को जटिल बना सकता है, क्योंकि एक परियोजना में बाधाएं या देरी कारणात्मक प्रभावों का एक समूह शुरू कर सकती है, जिससे सभी परस्पर जुड़ी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। नतीजतन, एक आधारभूत संरचना परियोजना का सफल समापन अक्सर सहक्रियात्मक आधारभूत संरचना, व्यापक योजना, सावधानीपूर्वक सिंक्रनाइजेशन और कुशल निष्पादन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहां परियोजनाओं को अलगाव में नहीं बल्कि एक परस्पर जुड़े मैट्रिक्स के घटकों के रूप में माना जाता है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं की लंबी कालावधि के लिए परियोजना के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो इन संस्थाओं के बीच परियोजनाओं को पुनर्वित्त, स्थानांतरण और अधिग्रहण करके प्रक्रिया में सहायता करती हैं। तुलनात्मक रूप से अविकसित वित्तीय प्रणाली और आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए क्रिया जुटाने वाले बाजार ने इस क्षेत्र को अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए बैंकों और एनबीएफसी पर निर्भर बना दिया था। हालाँकि, पिछले दशक में बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों में हुई बढ़ोतरी और आधारभूत संरचना के वित्तपोषण में लगी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा क्रिया चूक के कारण, आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के प्रति इन वित्तीय मध्यस्थों की मांग कम हो गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बढ़ी हुई समुत्थानशीलता के साथ बैंकों के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की हालिया गिरावट, इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के समर्थन में आरबीआई द्वारा उपाय

आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के महत्व को पहचानते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विवेकपूर्ण नियमों के ढांचे के भीतर कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं:

- क. यदि आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त एक्सपोजर आवंटित किया जाता है, तो एनबीएफसी³ को एकल उधारकर्ता के लिए निर्दिष्ट ऋण जोखिम सीमा को अतिरिक्त 5 प्रतिशत से बढ़ाने की अनुमति है।
- ख. जबकि बैंकों को वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इकिवटी पूँजी के लिए प्रवर्तक का योगदान उनके अपने संसाधनों से आना चाहिए और उन्हें आम तौर पर अन्य कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए, आधारभूत संरचना परियोजनाओं में प्रवर्तकों के शेयरों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए अपवाद बनाए गए हैं।
- ग. बैंकों को बाजार से धन जुटाने के लिए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना बांड जारी करने की भी अनुमति है। इस नियम को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताओं से छूट दी गई है और ये 2019 से सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं।
- घ. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को बैंक द्वारा ऋण देने की अनुमति दी गई थी।
- ङ. कॉरपोरेट्स/एसपीवी द्वारा निधीयन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए बांड में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नियम प्रदाताओं को सक्षम करने की दृष्टि से, बैंकों को आंशिक क्रेडिट वृद्धि (पीसीई) की पेशकश करने की अनुमति है।

³ एनबीएफसी-यूएल के बाहर की संस्थाओं के लिए, सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी-आईएफसी के अलावा) की एक्सपोजर सीमा उनकी टियर-1 पूँजी का 25 प्रतिशत है, जबकि एनबीएफसी-आईएफसी की एक्सपोजर सीमा उनकी टियर-1 पूँजी का 30 प्रतिशत तक हो सकती है। एनबीएफसी-यूएल के लिए, एनएफबीसी (एनबीएफसी-आईएफसी के अलावा) और एनबीएफसी-आईएफसी के लिए एक्सपोजर को उनके पात्र पूँजी आधार के क्रमशः 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है।

च. इसके अलावा, बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) और चुनिंदा एनबीएफसी⁴ कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए बाजार-सक्षम नियामक ढांचे को स्थापित करने के आरबीआई के प्रयासों के हिस्से के रूप में क्रेडिट डेरिवेटिव में बाजार निर्माता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और रिजर्व बैंक द्वारा सक्षम विनियामक ढांचे के बावजूद, यह स्पष्ट है कि अगले कुछ दशकों में देश की आधारभूत संरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है क्योंकि हम 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां एनएबीएफआईडी जैसी संस्था निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एनएबीएफआईडी की भूमिका और आगे की चुनौतियों से निपटना

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट या एनएबीएफआईडी की स्थापना भारत में दीर्घकालिक गैर अवलंबन आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए की गई थी, जिसमें आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉण्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास भी शामिल था। मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जहां हमारा मानना है कि एनएबीएफआईडी को अपने अधिदेश को देखते हुए ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इकिवटी संरचना और निधीयन

एनएबीएफआईडी ने वास्तविक वितरण में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष तक ₹1 लाख करोड़⁵ से अधिक की मंजूरी देकर आशाजनक प्रगति की है। ₹20,000 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी पूरक ₹5,000 करोड़⁶ के अतिरिक्त अनुदान के साथ निकट अवधि में क्रेडिट बुक वृद्धि का समर्थन करेगी। इसके अलावा, जीवन बीमा कंपनियों, पेंशन फंड आदि जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों के स्तर में वृद्धि, एनएबीएफआईडी के लिए

⁴ मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) दिशानिर्देश, 2022।

⁵ एनएबीएफआईडी वार्षिक रिपोर्ट।

⁶ स्रोत: माननीय वित्त मंत्री द्वारा एनएबीएफआईडी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा पर दिनांक 29 फरवरी, 2024 की पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति।

उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्वसनीय दीर्घकालिक निधीयन को सुरक्षित करने का अवसर प्रस्तुत करती है, जो 'नैचरल फिट' की पेशकश करती है। नतीजतन, इसे एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग के लिए भी प्रयास करना चाहिए जो भविष्य में निधीयन के घरेलू और वैश्विक दोनों स्रोतों का लाभ उठाने में मदद करेगी।

यह भी आवश्यक है कि मध्यावधि में, एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के तहत आत्मनिर्भर संचालन की योजना बनाई जाए जो निरंतर सरकारी समर्थन या विनियामक व्यवस्था पर निर्भर न हो। हमारे युग की गतिशील प्रकृति के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थानों के लिए चुस्त रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुसार, अपनी रणनीतियों को मोड़ने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखते हुए, समग्र सरकारी प्रयासों को पूरक बनाया जा सके।

अनुशासन

इस संदर्भ में अनुशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए वित्तीय संस्थानों के भीतर अनुशासन और आश्वासन कार्यों के महत्व को अधिकाधिक रेखांकित किया है। संस्थान के भविष्य के मार्ग का मार्गदर्शन करने और दीर्घकालिक संभावित संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र, कुशल और पेशेवर प्रबंधन इसके लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। चूंकि एनएबीएफआईडी अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए मानव पूँजी विकास, संस्थागत मजबूती और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने संबंधी ठोस प्रयासों के माध्यम से खुद को आवश्यक संसाधनों, कौशल और ज्ञान से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वित्तीय सेवा क्षेत्र में किसी भी अन्य इकाई की तरह, एनएबीएफआईडी को विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन को समर्थ बनाने और आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आश्वासन प्रणालियों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए।

परियोजना आकलन और मूल्यांकन में विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा विकसित करना

जबकि एनएबीएफआईडी अधिनियम सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने और सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विभिन्न सक्षम सुविधाएँ प्रदान करता है, एनएबीएफआईडी को

परियोजना आकलन विशेषज्ञता को शीघ्रता से विकसित करने और परियोजना चयन, आकलन और निगरानी के लिए बाजार में मानक स्थापित करने वाले अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ताकि ऋणदाता और हितधारक निश्चित हो सके।

पिछली गलतियों से सीखना

शायद तत्कालीन डीएफआई में ऋण उपयोग की वितरण-पश्चात कड़ी निगरानी का अभाव एक प्रमुख डिजाइन विफलता थी, जिसके परिणामस्वरूप उप-इक्षतम परिणाम प्राप्त हुए। पिछली घटनाओं से सीखने और व्यापक एवं लगातार सर्वेक्षणों और मूल्यांकनों के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं की चल रही निगरानी और मूल्यांकन के लिए समर्पित इकाइयों की स्थापना करने की आवश्यकता है, जो न केवल बाद के संवितरण के लिए गतिशील मूल्यांकन को सक्षम करेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि वित्त और परियोजनाओं में ठोस प्रगति परस्परानुरूप है। इसके अलावा, अनुपयुक्त आस्तियों के परिसमाप्त और समाधान से निपटने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और इस दिशा में आंतरिक रूप से पर्याप्त विशेषज्ञता का निर्माण किया जाना चाहिए।

अच्छी प्रथा के रूप में स्थायी वित्त

जलवायु जोखिमों के महत्व और आवश्यक न्यूनीकरण पर जोर देने के लिए, इससे अधिक प्रासंगिक समय नहीं हो सकता है। हम उन जोखिमों के गवाह हैं जो प्रत्यक्ष सामने हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे हैं। ईमडीई और विशेषकर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने और एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और आवश्यक आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाने और भविष्य में सतत विकास को बढ़ावा देने का आधार होगा। लो-कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट (एलसीसीआर) आधारभूत संरचना आगे की राह है और दुनिया जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के मामले में इसकी प्रतीक्षा कर रही है।

⁷ स्रोत: ईस्सी-पीएम वर्किंग पेपर शृंखला (ईस्सी-पीएम-डब्ल्यूपी/08/2022) एनएबीएफआईडी – ए व्हेइकल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग: चुनौतियाँ और अवसरा

एनएबीएफआईडी जैसे विशिष्ट वित्तपोषण संस्थान इन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी धन के निवेश की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में जलवायु वित्त⁸ और एलसीसीआर आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशेष रूप से, ये संस्थान रियायती और गैर-रियायती ऋण, इकिवटी निवेश, जलवायु-विशिष्ट निधि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जोखिम-साझाकरण साधन, विशिष्ट अनुदान और सहायता तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से पूँजी तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं के पूरे कार्यकाल में प्रौद्योगिकी-सक्षम पारितंत्र का समर्थन करने की आवश्यकता को देखते हुए, विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित करने और देश में स्थायी वित्त के पारितंत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है। यह विशेष रूप से एलसीसीआर विकास को मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम कर सकता है और देश को अपने प्रसार लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बना सकता है। यह सहजीवी आधारभूत संरचना के विकास में भी सहायता कर सकता है जिसका जलवायु परिवर्तन को कम करने पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है।

विकासात्मक भूमिका

मैं नए युग के डीएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की विकासात्मक भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। अपने वित्तीय उद्देश्यों के अलावा, एनएबीएफआईडी कई महत्वपूर्ण विकासात्मक उद्देश्यों जैसे बांड बाजार विकास और बुनियादी परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता/परामर्श सेवाओं के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह बाजार निर्माता बनने और निवेशकों को पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन और बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निधियों के संरक्षकों को अपनी दीर्घकालिक देयताओं से मेल खाने के लिए इन्फ्रा-सेक्टर

को ऋण देने में सुविधा मिलती है, यह रेटिंग अपग्रेड के माध्यम से आंशिक क्रेडिट वृद्धि प्रदान करने या फ़स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रदान करने जैसे अभिनव समाधान पेश करने के बारे में सोच सकता है। यह बड़े ऋणों के लिए ऋण समूहन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और क्रेडिट बाजारों के विकास में एसएलएमए का समर्थन करने में भी अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। जैसा कि एनएबीएफआईडी क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अपना आंतरिक रेटिंग मॉडल विकसित करता है, यह बांड बाजार में अदला-बदली (सीडीएस) जैसे उत्पादों की पेशकश करने में भी सक्षम हो सकता है जो बॉन्ड मार्केट स्पेस में विद्वास लाने में काफी मदद करेगा।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, यह जरूरी है कि आधारभूत संरचना को इसके गुणक प्रभावों पर विचार करते हुए, क्षमता निर्माण, विकासात्मक परिणाम और सामाजिक कल्याण में आवश्यक ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रम और पूँजी जैसे उत्पादन के कारक के रूप में देखा जाए। जैसे की ऐतिहासिक चुनौतियाँ और सबक बोधप्रद हैं, मुझे लगता है कि एनएबीएफआईडी के पास भारत के आधारभूत संरचना को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का एक अनुठा अवसर है। आगे की यात्रा के लिए वित्तीय विवेक, विकासात्मक प्रभाव और दीर्घकालिक दृष्टि के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। नई पीढ़ी के डीएफआई के रूप में, एनएबीएफआईडी को नवोन्मेष को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहने का प्रयास करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास समावेशी और टिकाऊ हो। मुझे यकीन है कि आज के सम्मेलन के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि इनमें से कुछ मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे।

मैं सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद एवं नमस्कार।

⁸ यूएनएफसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) जलवायु वित्त को स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण - वित्तपोषण के सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से लिए गए वित्त के रूप में परिभाषित करता है - जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है।